ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 81

भू-संसाधन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1500.00	3.78	1503.78	1400.00	3.86	1403.86	2400.00	3.90	2403.90
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**1500.00**	**3.78**	**1503.78**	**1400.00**	**3.86**	**1403.86**	**2400.00**	**3.90**	**2403.90**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.78	3.78	...	3.86	3.86	...	3.90	3.90
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
बंजर भूमि विकास										
2. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	2501	3.00	...	3.00	0.90	...	0.90	2.00	...	2.00
	3601	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*4.50*	*...*	*4.50*	*0.90*	*...*	*0.90*	*2.00*	*...*	*2.00*
3. *एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं स्कीम*										
3.01 कार्यक्रम संघटक	2501	1001.99	...	1001.99	1001.99	...	1001.99	1642.40	...	1642.40
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
3.02 ईएपी संघटक	2501	86.46	...	86.46	51.46	...	51.46	50.00	...	50.00
	जोड़	*1088.55*	*...*	*1088.55*	*1053.55*	*...*	*1053.55*	*1692.50*	*...*	*1692.50*
4. व्यावसायिक सहायता, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण आदि।	2501	83.10	...	83.10	28.20	...	28.20	...	...	...
	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	...	...	...
	जोड़	*89.10*	*...*	*89.10*	*34.20*	*...*	*34.20*	*...*	*...*	*...*
5. जैव-ईंधन	2501	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00
भूमि सुधार										
6. व्यापक भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए	2506	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	5.00	...	5.00
राष्ट्रीय कार्यक्रम	3601	129.00	...	129.00	129.00	...	129.00	415.50	...	415.50
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*131.50*	*...*	*131.50*	*131.50*	*...*	*131.50*	*425.50*	*...*	*425.50*
7. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान ।	2552	141.35	...	141.35	134.85	...	134.85	235.00	...	235.00
कुल जोड़		***1500.00***	***3.78***	***1503.78***	***1400.00***	***3.86***	***1403.86***	***2400.00***	***3.90***	***2403.90***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1227.15	...	1227.15	1133.65	...	1133.65	1739.50	...	1739.50
2. भूमि सुधार	12506	131.50	...	131.50	131.50	...	131.50	425.50	...	425.50
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	141.35	...	141.35	134.85	...	134.85	235.00	...	235.00
जोड़		**1500.00**	**...**	**1500.00**	**1400.00**	**...**	**1400.00**	**2400.00**	**...**	**2400.00**

1. यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है।

2. यह प्रावधान संचार, वृत्तिक सेवाओं तथा निगरानी एवं मूल्यांकन जैसे कार्यकलापों के लिए है ।

3.01. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को इन सभी तीनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के स्थान पर एक एकल कार्यक्रम नामतः समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) में एकीकृत और समेकित किया गया है । यह समेकन एकीकृत आयोजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के प्रयोजन से किया गया है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) की संशोधित और संवर्द्धित योजना को वर्ष 2008-09 के लिए परिकल्पित किया गया है, जिसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर लिए गए हैं और ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) के विचाराधीन है । यह एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना होगी।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) एक योजना है, जिसके अन्तर्गत परियोजनाएं माइक्रो वाटरशेड आधार पर शुरू की जाती हैं। यह कार्यक्रम लगभग 5000 है0 के परियोजना आकार के साथ परियोजना पद्धति में कार्यान्वित किया जाता है । परियोजना की लागत 6000 रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच क्रमशः 5500 रूपये तथा 500 रूपये के अनुपात में बांटा जाता है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) इस समय देश के 470 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । सूखा प्रवण क्षेत्र

http://indiabudget.nic.in

कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) एक क्षेत्र विकास कार्यव्रम है जिसे भूमि, जल तथा प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति के साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिए अभिकल्पित किया गया है । यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है और आबंटन को 1 अप्रैल, 1999 से केद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर बांटा जाता है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 185 जिलों में 972 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना तथा दीर्घकाल में पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करने के लिए भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, इन्हें विकसित करना तथा इन्हें उपयोग में लाना है और इसके अलावा सिंचाई, वनीकरण, शुष्क भूमि में खेती आदि के जरिए उत्पादन, आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना है । आबंटन को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75: 25 के आधार पर बांटा जाता है । यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है ।

3.02 उड़ीसा में विदेशी सहायता प्राप्त एक परियोजना नामतः पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना (डब्ल्यू.ओ.आर.एल.पी.) अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.), (यू. के.) से प्राप्त विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही है ।

4. इस प्रावधान का प्रस्ताव प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) सहित वृत्तिक सहायता, क्षमता निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन, सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित कार्यकलापों के लिए किया गया है । प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक भूमि पर परियोजनाओं के लिए 100 वित्तीय सहायता दी जाती है । निजी भूमि पर परियोजनाओं की लागत केंद्र तथा किसानों/निगमित निकाय के बीच 60:40 के अनुपात में बाँटी जाती है ।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग का राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के प्रचालन हेतु एक केद्रक (नॉडल) विभाग के रूप में चयन किया गया है । विभाग ने देश के विभिन्न भागों में 5 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि पर जटरोफा जैसे अखाद्य तिलहन पौधरोपणों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है । इस संबंध में प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी. ई.ए.) के विचाराधीन है ।

6. भूमि सुधारों के एक भाग के रूप में, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.) की योजना के तहत राज्यों को 50:50 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है । भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी कार्यान्वयनाधीन है । यह शत प्रतिशत सहायता अनुदान प्राप्त योजना है। अभी तक देश में 582 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है तथा इस योजना को देश में 4299 तहसीलों/तालुकों/मंडलों में कार्यान्वित किया गया है। उपर्युक्त दो योजनाओं के स्थान पर अधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र के साथ एक योजना नामतः विस्तृत भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.एल.आर.एम.) का प्रस्ताव किया गया है।

7. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है ।